न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—36/2018/225 (2018/00036)

1. उगमा दत्तक पवुत्र रामा, जाति कुम्हार, नि0 गोयला, तहसील सरवाड़ जिला अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. प्रभूलाल पुत्र धन्ना, जाति कुम्हार, नि0 गोयला, तह0 सरवाड, जिला अजमेर हाल निवासी देवलिया, तह0 विजयनगर, जिला अजमेर ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, सरवाड़, जिला अजमेर ।
3. पटवारी हल्का गोयला, तह0 सरवाड़, जिला अजमेर ।
4. उप पंजीयक, उपं पंजीयक कार्यालय, सरवाड़, जिला अजमेर ।
5. रामदेव पुत्र सूरजकरण गुर्जर, नि0 गोयला, तह0 सरवाड़, जिला अजमेर।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध आदेश विद्वान उपखण्ड अधिकारी, सरवाड़, दिनांक 18.12.2017 अंतर्गत प्रकरण संख्या 62/2017.

उपस्थितः—

1. श्री शांतिप्रकाश औझा, वकील अपीलांट ।
2. श्री राकेश अरोड़ा, वकील रेस्पो0 संख्या 5 .
3. श्री धर्मवीर चौधरी, पैरोकार सरकार रेस्पो0 संख्या 2 से 4.
4. रेस्पो0 संख्या 1 अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांकः— 21.1.2020

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, सरवाड़ के निर्णय दिनांक 18.12.2017 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी/अपीलांट ने अधी0न्याया0 में वाद के साथ प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राज0काश्त0अधि0 के तहत पेश कर निवेदन किया कि ग्राम गोयला, तह0 सरवाड़ की जमाबंदी संवत् 2069 से 2072 में खाता संख्या 355—617 खसरा नंबर 2329 रकबा 6—14—00 बीघा भूमि स्थित है जो प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 के संयुक्त कब्जे काश्त की आराजी होकर वर्तमान राजस्व अभिलेख में अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज है । प्रार्थी एवं अप्रार्थी

संख्या 1 दोनों सगे भाई है । प्रार्थना पत्र में सजरा अंकित कर कथन किया कि रामा पुत्र जेठू व अप्रार्थी संख्या 1 का चाचा है जो नाऔलाद था जिसने प्रार्थी को जाति रस्मों रिवाज अनुसार बाल्यकाल में गोद लिया था । पक्षकारान की अन्य भूमि का तो राजस्व अभिलेख में इंद्राज हो गया लेकिन वादवर्णित भूमि का जिसके आधे हिस्से पर प्रार्थी का कब्जा काश्त अपने दत्तक पिता के जीवनकाल से ही चला आ रहा है एवं उसी के हक हिस्से की है, का इंद्राज प्रार्थी के नाम नहीं किया गया है । विवादित आराजी के लगवा प्रार्थी के खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी खसरा संख्या 2328 है । मौके पर खसरा संख्या 2329 का आधार हिस्सा प्रार्थी के कब्जे काश्त में है व विभाजन हो रखा है । राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम दर्ज नहीं होने से अप्रार्थी संख्या 1 की नियत खराब हो गई है और वह प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी दीगर को हस्तातंरित करने पर आमादा है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थी संख्या 1 को वाद के निर्णय तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे तथा अप्रार्थी संख्या 4 को भी पाबंद किया जावे कि वह अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित संपूर्ण भूमि का किसी दीगर के नाम किसी प्रकार का विक्रय/हस्तातंरण पत्र पंजीयन नहीं करे । विद्वान अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय दिनांक 18.1.2017 द्वारा प्रार्थी/अपीलांट का प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया । अधी0न्याया0 के इस आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 संख्या 5 उपस्थित । रेस्पो0 संख्या 2 से 4 की ओर से राजकीय अधिवक्त उपस्थित । रेस्पो0 संख्या 1 अनुपस्थित । अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. पर विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 का आदेश न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 के समक्ष प्रस्तुत वाद एवं प्रार्थना पत्र में अंकित पारिवारिक सजरा से यह स्पष्ट है कि जेठू के दो पुत्र धन्ना व रामा हुए जिसमें रामा नाऔलाद फौत हो गया तथा धन्ना के वारिस मे प्रार्थी उगमा व प्रभुराम अप्रार्थी संख्या 1 हुए जिसमें उगमा रामा के यहां गोद होना बताया जिससे यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी के बाबत् पारिवारिक सदस्यों के मध्य विवाद है ऐसे में अधी0न्याया0 का भी यह उत्तरदायित्व है कि उनके समक्ष वाद के निर्णय तक विवादित आराजी के मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखी जाना न्यायोचित एवं आवश्यक था इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने प्रार्थना पत्र खारिज करने में त्रुटि कारित की है । बहस में आगे कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 ने जो जवाब प्रस्तुत किया उसमें विवादित आराजी को पैतृक होना बताया और सजरे को स्वीकार किया है तथा अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा विवादित आराजी खसरा नंबर 2329 रकबा 6–14–00 संपूर्ण का बेचान अप्रार्थी संख्या 5 को दिनांक 3.7.2017 को कर दिया था तो फिर अधी0न्याया0 को वाद के निर्णय तक मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने के आदेश पारित करने चाहिये थे । अधी0न्याया0 का यह मानना कि खसरा नंबर 2329 अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज है तथा प्रार्थी ने उक्त आराजी पुश्तैनी होना साबित नहीं किया है निष्कर्ष गलत है क्योंकि अप्रार्थी संख्या 1 ने विवादित आराजी को पैतृक होना माना था तो फिर किसी साक्ष्य की आवश्यकता नहीं थी । विवादित आराजी पुश्तैनी होने के संबंध में संलग्न दस्तावेजात जमाबंदी संवत् 2014 से 2017 में अंकित आराजी जेठू पुत्र छोटू के नाम दर्ज है तथा जेठू के स्वर्गवास के बाद संपूर्ण आराजी धन्ना व रामा के नाम दर्ज नही कर केवल धन्ना के नाम दर्ज कर दी जो

नामांतकरण संख्या 37 से स्पष्ट है तथा उक्त आराजी राजस्व रिकार्ड में धन्ना वल्द जेठू संवत् 2018 से 2021 में दर्ज है तथा सेटलमेंट द्वारा हाल कायम किये गये नंबर का मिलान क्षैत्रफल से यह स्पष्ट है कि आराजी जो जेठू के नाम थी वह केवल धन्ना के नाम दर्ज कर दी गई तथा आगे चलकर उक्त खसरा नंबर में से उगमा एवं प्रभुदयाल के नाम अन्य आराजियात अलग–अलग दर्ज कर दी गई इसलिये खरसरा नंबर 2329 जो प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 का आधा आधा हिस्सा था व उसी अनुसार काबिज थे को भी दोनों के नाम दर्ज करनी चाहिये थी । विवादित आराजी में अपीलांट के हक मूल वाद में बाद साक्ष्य तय होगें किन्तु अधी0न्याया0 के समक्ष यह स्पष्ट था कि अप्रार्थी संख्या 1 ने विवादित संपूर्ण आराजी का बेचान अप्रार्थी संख्या 6 को कर दिया है तो प्रकरण की परिस्थितियों को मध्यनजर रखते हुए अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना आवश्यक था । अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों को नजरअदांज कर प्रार्थना पत्र खारिज करने में त्रुटि कारित की है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का आदेश निरस्त किया जावे तथा प्रार्थी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे।

5. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 5 ने बहस में कथन किया कि विद्वान अधी0न्याया0 का आदेश विधिसम्मत् है । अपीलांट विवादित आराजी का रिकार्डेड काबिज खातेदार काश्तकार नहीं है जिससे वह रिकार्डेड खातेदार काश्तकार के विरूद्ध किसी भी तरह की निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है । राजस्व रिकार्ड में विवादित आराजियात प्रभूलाल पुत्र धन्ना के नाम दर्ज है जिससे रेस्पो0 संख्या 5 ने जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र के आराजी क्रय कर कब्जा काश्त प्राप्त किया है । रेस्पो0 संख्या 5 विवादित आराजी का सद्भाविक क्रेता है जिसे किसी भी निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जा सकता है । विद्वान अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध संपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्यों का विस्तृत विवेचन, विश्लेषण करते हुए प्रार्थना पत्र खारिज किया है जो विधिसम्मत् निर्णय है। अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे ।

6. हमनें उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । अपीलांट का कथन है कि अपीलांट के मूल पिता धन्ना थे किन्तु अपीलांट को रामा पुत्र जेठू ने गोद लिया था । विवादित आराजियात पैत्रक आराजी है जिसमें अपीलांट का भी आधा हिस्सा निहित है । पत्रावली के अवलोकन के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अपीलांट ने विवादित आराजी पैतृक होने का कथन कर स्वंय रामा पुत्र जेठू का दत्तक पुत्र बताते हुए विवादित आराजी में 1/2 की खातेदारी उद्घोषणा चाही है तथा वाद के विचाराधीन रहते विवादित आराजी बाबत् अप्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 1 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबदं किये जाने का निवेदन किया है । पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि रेस्पो0 संख्या 1 ने विवादित आराजी का रेस्पो0 संख्या 5 को बेचान कर दिया है । विवादित आराजी को लेकर पक्षकारान के मध्य खातेदारी उद्घोषणा का वाद विचाराधीन है यदि उक्त वाद के विचाराधीन रहते विवादित आराजी का ओर आगे हस्तातंरण, विक्रय हो जाता है तो अपीलांट द्वारा वाद प्रस्तुत करने का औचित्य ही समाप्त हो जायेगा तथा और अधिक वाद बाहुल्यता को बढ़ावा मिलेगा । अधी0न्याया0 को प्रकरण की परिस्थितियों को मध्यनजर रखते हुए अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करना चाहिये था । हम वाद के विचाराधीन रहते विवादित आराजी के मौके एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने तथा विवादित भूमि किसी अन्यंत्र को बेचान करने से पाबंद करना न्यायोचित समझते है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील

अपीलांट स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित आदेश निरस्त किये जाने योग्य पाया जाता है ।

7. अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी, सरवाड़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.12.2017 को निरस्त किया जाता है तथा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राज0काश्त0अधि0 स्वीकार कर उभयपक्ष को ताफैसला मूल वाद इस अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे विवादित आराजी के मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे तथा विवादित आराजी का किसी अन्य को रहन, बेचान, हस्तातंरण इत्यादि नहीं करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 21.1.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर